न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 101/2012
RCMS No. 2012/00072

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1 मोहनीदेवी पत्नी मोहनलाल		1. सरपंच ग्राम पंचायत बारवा
2 शांतिदेवी पत्नी घीसूलाल जातिगण राव निवासीगण बारवा तहसील बाली		2. देवीसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा 3. बंशीलाल पुत्र लालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री शंकरलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/3/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बारवा द्वारा मिसल संख्या 30/2008–2009, संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.10.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का किसी भी रूप में कब्जा नहीं है एवं न ही इनके परिवार वालों का कभी कब्जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी वादस्थ भूखण्ड को अपना पुश्तैनी होना बताते हुए पट्टा जारी कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो विधि विरूद्ध है। वादस्थ भूमि पर प्रार्थीगण का मालिकाना हक है, जिसकी लिखत वर्ष 1957 में प्रार्थीगण के ससुर के पक्ष में निष्पादित की गई है। उक्त दस्तावेज की पंचायत द्वारा भला भांति जांच ही नहीं की तथा प्रार्थीगण के हक हकूक की भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी कर दिया। पंचायत अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर नक्शा बनाया जाता है, प्रकरण में नक्शा किसके द्वारा बनाया गया, कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है। इसके पश्चात तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है, प्रकरण में तीन पंचो को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त तो किया, किन्तु मौका कब देखा गया, किस स्थान का देखा गया, अंकित ही नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट एक प्रिन्टेड प्रर्फोमा में तैयार की गई है, जिसमें पंचो की कोई राय अंकित नहीं है। इसके पश्चात न तो अस्थाई निर्णय लिया गया तथा न ही विधि अनुसार आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। इसके एक माह

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पश्चात जैर निगरानी आज्ञा पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया। प्रकरण में जो नक्शा ग्राम सेवक द्वारा तैयार किया गया है, भूमि मौके पर उसके अनुरूप नहीं है। ग्राम सेवक द्वारा समचौरस भूमि दर्शाई गई है, जबकि मौके पर त्रिभुजाकार भूमि है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा पंचायत की विभिन्न भूमियों पर कब्जा किया जाकर पट्टे प्राप्त किये गये है, जिनमें से कई पट्टो की निगरानियां न्यायालय में प्रस्तुत हुई एवं वे पट्टे अपास्त हुए है। हस्तगत प्रकरण में भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए प्रार्थी के हक अधिकारों की भूमि हडपने की मंशा से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है। इससे यह साबित होता है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया एक ही दिन में पंचायत कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 2 द्वारा अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत बारवा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस लिखत दस्तावेज को निगरानी का अधार बनाते हुए जैर निगरानी वादस्थ भूमि अपनी हक अधिकारों की बताई है, वह भूमि हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखती है। जिसके अडौस पडौस का भी मिलान नहीं होता है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को स्वयं की होना बताते है, तो प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करनी थी, जो प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई। प्रार्थीगण ने मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो सारहीन है। मौके पर पूर्व में भूखण्ड था, जिस पर वर्तमान में अप्रार्थीगण का मकान निर्मित है एवं उनका कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही प्रक्रिया अपनाते हुए सम्पादित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बारवा द्वारा मिसल संख्या 30/2008–2009, संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.10.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 08.11.2008 को देवीसिंह पुत्र दानसिंह व बंशीलाल पुत्र लालसिंह द्वारा संयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर द्वारा अपने पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वांछित स्थल के पडौस अंकित करते हुए नजरी नक्शा भी दर्शाया तथा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण आदि शुल्क जमा करवाये। इस पर सरपंच द्वारा पत्रावली आगामी कोरम में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 12.02.2009 को मिसल कायम की गई। इसके पश्चात दिनांक 05.09.2009 को वांछित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंच श्री आईदानसिंह, श्री खरताराम व श्री देवाराम की कमेटी मनोनीत की गई। उक्त

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

आदेश की पालना में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इसके पश्चात दिनांक 20.09.2009 को कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। इस आदेश की पालना में दिनांक 20.09.2009 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 20. 10.2009 को प्रस्ताव संख्या 2 की पालना में नियम 157 (क) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए।

पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल के प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। अब प्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि को लिखत दिनांक 03.01.1957 के आधार पर स्वयं के हक हकूको की बताई है। प्रथमतः तो उक्त लिखत में वर्णित भूमि के पडौस एवं जैर निगरानी पट्टे की भूमि के पडौस का मिलान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से हक हकूकों के निर्धारण का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का उक्त तथ्य क्षैत्राधिकार विहिन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण अपने हक अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। इसके अतिरिक्त तकनीकि त्रुटीयों के आधार पर पट्टे पर प्रश्नचिन्ह अंकित करना न्यायोचित नहीं है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय की त्रुटीयों का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगताया जा सकता है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीयों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बारवा द्वारा मिसल संख्या 30/2008–2009, संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.10.2009 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/8/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली